न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13 / 2021 GCMS No 2021 / 31

दायरा तिथि : 17.02.2021

फैसला तिथि : 1-10-2021

प्रार्थी::–

श्री सुरेशसिंह पुत्र श्री रतनसिंहजी जाति–राजपुरोहित,
निवासी–बोया, तह–बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 1-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बोया तहसील बाली में सह खातेदारी में धारित की जा रही खाता संख्या 461 की भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज हकीया पुत्र रताजी व खाता संख्या 463 की भूमि में दर्ज भीमजी पुत्र रताजी को त्रुटिपुर्ण बताते हुये अपना सही व वास्तविक नाम सुरेशसिंह पुत्र रतनसिंह दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य ग्राम बोया के खाता संख्या 461 व खाता संख्या 463 की जमाबंदी की प्रतियॉं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशनकार्ड की प्रति, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोया द्वारा जारी टी.सी. की प्रति, मूल निवास की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बोया के खाता संख्या 461 में **त्रुटिपुर्ण नाम हकीया पुत्र रताजी पुरोहित व खाता संख्या– 463 में भीमजी पुत्र रताजी पुरोहित** दर्ज होना तथा भीमजी पुत्र रताजी की त्रुटि नामान्तरकरण संख्या 151 दर्ज करते समय होने से प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम सुरेशसिंह पुत्र रतनसिंह** होना स्वीकार किया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम सुरेशसिंह पुत्र रतनसिंह** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशनकार्ड की प्रति, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोया द्वारा जारी टी.सी. की प्रति, मूल निवास की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति पेश की गई। नामान्तरकरण सं. 151 दर्ज करते समय प्रार्थी का खाता संख्या 463 में त्रुटिपुर्ण नाम **भीमजी पुत्र रताजी पुरोहित** दर्ज कर दिया हैं। जिससे खाता संख्या 461 में दर्ज **त्रुटिपुर्ण नाम हकीया पुत्र रताजी पुरोहित व खाता संख्या– 463 में दर्ज भीमजी पुत्र रताजी पुरोहित** को प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार **सही व वास्तविक नाम सुरेशसिंह पुत्र रतनसिंह** राजस्व रेकर्ड में भी नाम दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बोया तहसील बाली के खाता संख्या 461 की भूमि के अधिकार अभिलेखों में बतौर सह खातेदार **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम हकीया पुत्र रताजी** व खाता संख्या 463 की भूमि में दर्ज **त्रुटिपुर्ण नाम भीमजी पुत्र रताजी** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सुरेशसिंह पुत्र रतनसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बोया को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से दाखिल दफ्तर हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 1-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner